

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

उप नं० 45/14 फर्द अहकाम तारीख रू 18.9.14

उनवान - सिया बनाग जैराम कौ

प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेद्याज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री मनोज कुमार ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निवेद्याज्ञा पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रार कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस से तालब कर पत्रावली दिनांक 15.10.14 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर टोडाभीम (करौली)

2230/39
18.9.14

10/14 प्रार्थी वकील उप०। अप्रार्थी नं० 1 व 2 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी नं० 4, 5, 6 की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मिष्ठो ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी नं० 3, 7 लगातार 10 बावजूद उप० नहीं हुए हैं, उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। वास्तु जबर दिनांक 12.11.14 को पेश हो।


श्री जैराम

दृष्ट (2)

11/14 वकूलाय उप०। अप्रार्थी नं० 1 व 2 बावजूद सूचना एवं गत घेशी पर उपस्थित होने के बावजूद उपस्थित नहीं हैं भरः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अप्रार्थी नं० 4 व 6 की ओर से जबर पेश किया। गबल प्रार्थी वकील को दिलाई गई। वास्तु बहस दिनांक 9/12/14 को पेश हो।

फर्द अहकाम

कुटुलाय उपर) आदेश नही लिलाफा जा सका था / पुनः बहस
वास्ते दिनांक 11-11-20 को पेश हो।

दी वकील / वकील समय पक्ष उपस्थित
गिआसीन अधिकारी अत्य. कार्य में व्यस्त है
पत्रावली गतानुसार दिनांक 22.12.20
को पेश हो।

दी वकील / वकील समय पक्ष उपस्थित
गिआसीन अधिकारी प्रो. डी. काल. में व्यस्त है
पत्रावली गतानुसार दिनांक 1.1.21
को पेश हो।

कुटुलाय उपर) वास्ते पुनः बहस दि 10.2.21 को पेश हो।

0.2.21

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं
है, कई बार-रुक-रुक कर आवाज दिलवाई गई।
फिर भी प्राची वकील एवं प्राची में से कोई भी
उपस्थित नहीं है अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थाई
निवेधाना अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में
स्वारिज किया जाता है पत्रावली कैसल शुमार होकर
नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ
संलग्न रहे।